FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

खेताराम बनाम पेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा वा० अन्तर्गत 111,128 RLRAct नं. 27/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री धमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/02/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	सम्मन 41 24/1/19
18/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील होकर तामील शुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा पैरवी हेतु [illegible] ली गई, अतः, पत्रावली विप्रार्थी संख्या-1 के वकालातनामा व जवाब तथा शेष की तलबी के इन्तजार में पत्रावली बाद दिनांक 05/03/19 को पेश हो। [initials] पुनः विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली नियत दिनांक 05/03/2019 को पेश हो। [initials]	undertaking by me वि. सं. (1) [signature] 18/02/19

Scanned by CamScanner

05/03/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 09.04.19 को पेश हों।

09/04/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 24/07/19 को पेश हों।

24/07/19

प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण संख्या-2 से 9 तक था उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/07/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)

बहुक्म
30/07

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/07/19	प्रार्थी व विपार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। प्रार्थी व विपार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा कथन कीया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत ख. नं० 331/239 रकबा-39.03 बीघा मौजा-रैवाली पटवार मण्डल- टाखाली मे आया हुआ है जिसका प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया गया तथा मौके पर चिन्ह कीये गये। लेकिन प्रार्थी अपने खेत पर नेषप स्थापित करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त नेषमबंदी का आवेदन पेश कीया गया। जिसे स्वीकार कीया जाकर नेषमबंदी आदेश कीया जावे। वकील विपार्थीगण संख्या-1 ने जवाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन कीया की प्रार्थीगण व विपार्थीगण के खेतो के मध्य कोई माठे व कोठे बने हुए नही है। तथा उसी पैरा संख्या- 2 में दोहराया की प्रार्थी व विपार्थीगण के खेत मध्य पुरानी माठे, कोठे बने हुए है। विपार्थीगण द्वारा कहे गये दोनो कथनो में विरोधाभास है। तथा साथ ही विपार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया की विपार्थीगण द्वारा तीन चार बार सीमाज्ञान करवाया गया जबकि विपार्थीगण द्वारा अपने जवाब के संलग्न सिमांज्ञान रिपोर्ट की कोई प्रति प्रस्तुत नही की गई है। विपार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब मे बतलाया की तहसीलदार बायतु के द्वारा हमारे खेतो का नाप कर रकबा पुरा करने के पश्चात ही प्रार्थी के नेषमबन्दी का आदेश फरमावे, तबतक यह नेषमबंदी आवेदन स्वीकार नहीं कीया जावे।	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता॰ अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त तथ्यों एवम् विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत जवाब गलत तथ्यों व आधारहीन होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निशानदेही आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामनवास को कमिशन नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कोई भी भू॰ अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की निशानदेही मौके पर शुद्ध जमाबन्दी अनुसार करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	
	(SDO)	

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 368 दिनांक : 30/07/2019

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. खेताराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी रेवाली, सिंगोड़िया तहसील बायतु

1. पेमाराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 9 जाति जाट, निवासी रेवाली, सिंगोड़िया, तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 27 / 19

आदेश

मौजा ग्राम रेवाली पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 331 / 239 रकबा 39.03 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 369 to 373 दिनांक : 30/07/2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हरखाली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण खेताराम पुत्र नारणाराम।
4. विप्रार्थीगण पेमाराम पुत्र टीकमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा।

30.7.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner